न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **02/2019** अपील (राजस्व)

श्रीमती सुरज देवी पत्नि श्री यमुनाशंकर चौबीसा, निवासी हवामगरी, गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार भीण्डर अन्तर्गत प्रकरण संख्या 227/2018 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 16.10.2018

उपस्थित : श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 27.05.19

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार भीण्डर के प्रकरण संख्या 227/2018 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 16.10.18 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश सील में नाम पते भरकर दिया गया हैं। जो आदेश की परीभाषा में नहीं आता हैं। कथित आदेश देखने से यह भी जाहीर नहीं होता है कि विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है या नहीं। यदि जवाब प्रस्तुत किया गया है तो न्यायालय द्वारा क्या विचार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी नहीं बताया गया है कि विवादीत भूमि बिलानाम सरकार है या चारागाह इस पर भी कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया हैं। यह भी नहीं बताया गया है कि अतिक्रमि का नाजायज कब्जा कब से हैं। अतिक्रमित

भूमि नियमन योग्य है अथवा नहीं। यदि नियमन योग्य नहीं है तो क्यों नहीं हैं। जबकि अतिक्रमी का कब्जा पुराना होकर अतिक्रमी भूमिहीन काश्तकार होने से यह भूमि अतिक्रमी के नाम नियमन किये जाने योग्य हैं। विवादीत भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की आराजी संख्या 321 की बाउण्ड्री के अन्दर हैं तथा अपीलान्ट का कब्जा खरीद की तारीख से चला आ रहा हैं। विवादीत भूमि खातेदारी की भूमि के साथ ही खरीदी गई है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई जॉच नहीं की गई हैं। अपीलान्ट दिनांक 16.10.18 को न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु अपीलान्ट से किसी प्रकार की कोई पुछताछ नहीं की गई। नाही कोई आदेश सुनाया गया। अपीलान्ट अनपढ व्यक्ति होकर कानुनी प्रावधानो को नहीं समझती हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जाकर विवादीत भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन फरमायी जावें।

अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.01.19 को पटवारी हल्का से हुई जिस पर तत्काल तहसीलदार भीण्डर के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश की नकल आदि प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट ने जानबुझकर कोई देरी नहीं की हैं। देरी का पर्याप्त कारण हैं व न्याय के लिये देरी के समय को कण्डोन कराया जाना आवश्यक हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश प्रदान किया गया है वह मात्र सील लगाकर उसमें नाम पते भरकर शास्ति आरोपित करते हुए बेदखली के आदेश प्रदान किये गये हैं। जबकि प्रथम दृष्ट्या उस आदेश को देखने से यह ज्ञात नहीं होता है कि यह जमीन चारागाह की है या बिलानाम की हैं। इस जमीन पर अपीलान्ट

का कब्जा कब से हैं। क्या यह भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन की जा सकती है या नहीं की जा सकती हैं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं किया गया जिसका कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। अपीलान्ट को नोटिस जारी किये जाने पर अपीलान्ट दिनांक 16.10.18 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई थी। परन्तु अपीलान्ट से कोई पुछताछ नहीं की गई नाही कोई आदेश सुनाया गया। अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी भी दिनांक 09.01.19 को पटवारी हल्का से हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा विधि के प्रतिकुल कानुन के विपरीत आदेश पारीत किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज योग्य हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित करें कि वह अतिक्रमित भूमि का नियमन अपीलान्ट के नाम नियमानुसार किया जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश विधि के अनुसार ही हैं। अपीलान्ट द्वारा बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट की नियमानुसार सुनवाई कर ही बेदखली के आदेश पारीत किये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा इस भूमि को खरीदना बताया गया हैं। जबकि कानुनन बिलानाम सरकारी भुमि होकर इसको कोई खरीद नहीं सकता हैं। प्रार्थी स्वयं ही अतिक्रमण को साबित कर रहा हैं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं। किसी व्यक्ति को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो में यह जाहीर किया है कि मेरे द्वारा क्रय भूमि के साथ में ही इस भूमि को लिया गया हैं। यदि अपीलार्थी द्वारा किसी की खातेदारी भूमि क्रय की गई हो तो उसके

साथ में बिलानाम भूमि का किसी के द्वारा भी बेचान नहीं किया जा सकता हैं। अपने कथनो से ही स्वयं अतिक्रमण को साबित किया जा रहा हैं। अपीलार्थी द्वारा ना तो अधिनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है नाही अपील के साथ में ऐसे कोई साक्ष्य या दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है जिससे यह साबित होता हो कि अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा पुराना हो जो नियमन की तारीफ में आता हो। अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके गैर कानुनी कार्य किया हैं। जो काबिले बेदखली योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध जो कार्यवाही की गई है वह विधिअनुसार होकर सही हैं। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर,
उदयपुर